कार्यालय उप वन संरक्षक डूगरपुर

कमांक/एफ( ) /एफसीए/उवस/2016–17/7862 दिनांकः– 11-8-16

निमित,

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
डूंगरपुर

विषयः– जिला डूंगरपुर में थाना मेवाडा (हिम्मतपुर) से गुजरात राज्य की सीमा तक 17/900 से 19/400 एवं 20/150 से 23/500 के मध्य सुदृढ्किरण विस्तार कार्य हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि थाना मेवाडा सडक निर्माण 17/900 से 19/400 एवं 20/150 से 23/500 के मध्य सुदृढ्किरण विस्तार ऑनलाईन प्रस्तुत प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नांकित कमिया पायी गई है (प्रति संलग्न है)

1. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या A-1 (iii) में प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया जाना अपेक्षित है जिसमें कार्य का विवरण, स्थान का नाम, योजना का नाम इत्यादि का विवरण दिया जाना अपेक्षित है।
2. U/A द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या B-2.3 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ग्राम अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि के विवरण में ग्राम के स्थान पर अनसर्वेयड भूमि का उल्लेख किया है। इसमें यदि वन क्षैत्र किसी ग्राम में शामिल नही है तो अनसर्वेयड भूमि (कोई ग्राम में सम्मिलित नही) का नाम अंकित करें।
3. U/A द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-ii (b) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा KML file को सही अपलोड नही किया गया है। KML file में वन/गैर वन सीमा को पृथक पृथक दर्शाया जाकर KML file polygen shape में दिया जाकर पुनः अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।

4. U/A द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-iii में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा GT Sheet Map जो उपलब्ध कराया गया है उपमें इंडेक्सिग सही नही है एवं अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर भी नही किये गये है। जो किया जाना प्रस्तावित है।
5. U/A द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-iv में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा DGPS/Total Station Map जो उपलब्ध कराया गया सही नही है।DGPS/Total Station Map जिसमें प्रत्यावर्तित की जाने वाली वनभूमि के अक्षांश–देशान्तर नम्बर सहित वनसीमा का स्पष्ट अंकन हो, लिया जाना प्रस्तावित है।
6. U/A द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या K-(i) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा FRA certificate संलग्न किया गया है। जो कि 18 है. भूमि एवं 12.508 है. भूमि के लिए है जिनमें से एक को हटाया जाना प्रस्तावित है। इसमें प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अंन्तर्गत कार्यवाही कर उक्तानुसार प्रमाण पत्र मय संलग्न भिजवाये जाने प्रस्तावित है।
7. U/A द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या L में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना में KML File उपलोड नही की है एवं GT Sheet and DGPS Map भी पुरानी स्वीकृत भूमि का संलग्न किया गया है। संशोधित लगाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही विभाग के नाम जमाबंदी एवं खसरा मेंप संलग्न किया जाना है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अतिरिक्त सूचनाओ में निम्न सूचना दिया जाना अपेक्षित है।

1– प्रस्तुत की गई एरिया केलकुलेशन शीट में पूर्व में बनी हुई निर्मित सडक को प्रस्तावित प्रत्यावर्तन में शामिल नही किया गया है। कारण स्पष्ट किया जावे। ली जाने वाली छुट से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।

2– प्रस्ताव में से पूराने दस्तावेज को हटाया जावे।

9. प्रस्ताव में आपके हस्ताक्षर नही है एवं सम्पूर्ण दस्तावेज भी सलंग्न नही है।

अतः उपरोक्त बिन्दु की पूर्ति कर प्रस्ताव तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- मूल प्रस्ताव 7 प्रतियो मे

भवदीय

(डॉ.एस.सरथ बाबू)
उप वन संरक्षक
डूँगरपुर

D:\FCA\FCA Letter.Docx- 13